कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवम् अधीक्षक मुद्रांक, मध्यप्रदेश, भोपाल

(पंजीयन भवन, प्लॉट 35–ए, अरेरा हिल्स, जिला न्यायालय के पीछे, भोपाल – 462011)

क्रमांक 1072/ सम्पदा ई–पंजीयन – 101/2015 भोपाल, दिनांक 19.08.2015

प्रति

समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय – सम्पदा ई–पंजीयन के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत किए जा रहे दस्तावेजों का अभिप्रमाणन अथवा सत्यापन ऑनलाईन किए जाने बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सम्पदा ई–पंजीयन दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण करने वाली कम्प्यूटरीकृत तथा वेब–इनेबल्ड प्रणाली है। उक्त परिप्रेक्ष्य में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 में हाल ही में जोड़ी गयी धारा 63–क(1) के अन्तर्गत यह प्रावधान किया गया है कि अधिनियम के अधीन अपेक्षित समस्त उपस्थापन, पृष्ठांकन, पंजीबद्धकरण, प्रमाणन, हस्ताक्षर और बहियों तथा अनुक्रमणिकाओं का संधारण, नियमों के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, यदि कोई हो, इलेक्ट्रॉनिक फार्म में किए जा सकेंगे। इस प्रकार सम्पदा के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत किए जा रहे दस्तावेज वस्तुतः इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड के रूप में हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 57 (5) के परन्तुक में यह नया प्रावधान भी किया गया है कि जब कोई रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक फार्म में हस्ताक्षरित हो और संबंधित नियमों के अधीन सरकार द्वारा प्राधिकृत डाटाबेस में स्टोर किया गया हो, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 से उसकी प्रतियां डाउनलोड/ जारी की जा सकेंगी और वे मूल दस्तावेज की अन्तर्वस्तुओं को साबित करने के प्रयोजन के लिए भी ग्राह्य होंगी।

उपर्युक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में यह उचित होगा कि आवश्यक होने पर सम्पदा के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकृत किए दस्तावेजों का अभिप्रमाणन अथवा सत्यापन ऑनलाईन ही किया जाए।

Dipali Rastogi

(दीपाली रस्तोगी)
महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश।

निरन्तर 2

पृष्ठांकन क्रमांक 1073/ सम्पदा ई–पंजीयन – 101/2015 भोपाल, दिनांक 19.08.2015

प्रतिलिपि –

1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
4. प्रिन्सिपल रजिस्ट्रार, माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश।
5. समस्त कमिश्नर एवं कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. उप महानिरीक्षक पंजीयन, भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक एवं जिला पंजीयक, मध्यप्रदेश को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

महानिरीक्षक पंजीयन,
मध्यप्रदेश।